न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 59/2017 राजस्व वादपत्र

अनवान

1 मूला पिता उंकार बैरवा उम्र–वयस्क निवासी घरटा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

..... वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी.....वकील वादी**
पैरोकार सरकार..... .....विपक्षी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 08.02.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम घरटा पटवार हल्का घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खतौनी संख्या 344 के आराजी संख्या 1337, 1378, 1416, 1489, 1839, 1879, 1882 कुल किता 07 कुल रकबा 08–11 बीघा तथा खतौनी संख्या 239 के आराजी संख्या 1231, 1232, 1333, 1334, 1335, 1336, 1415, 1417, 1486, 1487, 1488, 1804, 1810, 1811, 1812, 1813, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1877, 1878, 1880, 1881, कुल किता 26 कुल रकबा 20–00 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड है। सर्वप्रथम साबिक राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजीयात जयराम व कालु बैरवा दो भाईयों के नाम पर दर्ज रिकार्ड रही, जिसमें से जयराम बैरवा के चार पुत्र कमशः नानु, उंकार, प्रताप, नारायण उत्पन्न हुए, चार भाईयों में से उंकार व नारायण बैरवा लाऔलाद फौत हो चुके है। नानु पिता जयराम बैरवा के दो पुत्र कमशः वादी मूला व बालु बैरवा हुए, तथा प्रताप पिता जयराम के एक पुत्र रामा बैरवा उत्पन्न हुआ। वादी मूला का प्राकृतिक भाई बालु बैरवा भी लाऔलाद फौत हो गया व दुसरी तरफ वादी के दादा के भाई स्व. कालु बैरवा के एक पुत्र छोगा बैरवा हुआ, छोगा के कोई सन्तान उत्पन्न नही होने से वादी मूला बैरवा को गोदपुत्र के रूप में स्वीकार किया। यानि सम्पूर्ण पारिवारिक सिजरे अनुसार केवल मात्र वादी मूला बैरवा को छोडकर शेष परिवार के सभी सदस्यों का देहान्त हो चुका है। इस प्रकार विवादित आराजीयात पर केवल मात्र वादी का कानूनन हक अधिकार निहित होकर कब्जा एंव अधिपत्य चला आ रहा है, जिससे वादी विवादित आराजीयात का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अतः राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करा, विवादित आराजीयात को केवल मात्र वादी के नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। तद्नुसार घोषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी 01 सादर फरमायी जाने के साथ इसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। इसके साथ स्थायी निषेधाज्ञा आशय की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 पारित फरमाई जावें।

2. वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 18.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। नियत सुनवाई दिनांक 01.02.2018 पर विपक्षी राज्य की और से तहसीलदार बनेडा द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुतिकरण हेतु असमर्थता अपने वचनों से व्यक्त की गई, ऐसी स्थिति में विरूद्ध विपक्षी एकतरफा कार्यावाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की भावना से प्रेरित होकर वादी की शहादत्त में गवाह वादी संख्या 01 द्वारा अपने साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र प्रस्तुत किये, जिन पर उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

गवाहान वादी क्रम 01 से जिरह सम्पादित की जाकर, बयान कलम बद्ध किये गये। तथा प्रकरण में स्वतन्त्र साक्ष्य के तौर पर वादी के गवाहन श्री सुवा पिता धन्ना बैरवा निवासी घरटा, जगदीश प्रसाद पिता मिठूलाल कलाल निवासी घरटा से भी जिरह सम्पादित की जाकर बयान कलम बद्ध किये गये, प्रत्येक पर क्रमशः लाल स्याही से पी.डब्ल्यू–1, पी.डब्ल्यू–2, पी.डब्ल्यू–3, का अंकन कर वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेख चालू व साबिक जमाबन्दी पर क्रमशः प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, प्रदर्श–4, प्रदर्श–5 का अंकन किया गया। तथा प्रकरण को बहस अन्तिम चरण हेतु नियत किया गया। नियत सुनवाई दिनांक 08.02.2018 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस वाद में एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में इंगित कलमों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सम्पूर्ण पारिवारिक सिजरे में केवल मात्र वादी मूला बैरवा को छोडकर शेष परिवार के सभी सदस्यों का देहान्त हो चुका है। इस प्रकार विवादित आराजीयात पर केवल मात्र वादी का कानूनन हक अधिकार निहित होकर कब्जा एंव अधिपत्य चला आ रहा है, जिससे वादी विवादित आराजीयात का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अतः राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करा, विवादित आराजीयात को केवल मात्र वादी के नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। तद्नुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी 01 सादर फरमायी जाने के साथ इसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। इसके साथ स्थायी निषेधाज्ञा आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 पारित फरमाई जावें।

3. अतः इस प्रकार प्रकरण का अधो–पांत मेरीट पर अवलोकन/परिक्षण करने से तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की ताईद मे प्रस्तुत शपथपत्र, जिन पर गवाहान वादी के कलमबद्ध बयानो एंव वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत बहस तथा राजस्व आधार अभिलेखो के अध्ययन से अभिलेखो पर मनन करने के पश्चात वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

–::आदेश::–

वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वादी मूला पिता उंकार बैरवा नाम का ग्राम घरटा तहसील बनेडा में एक ही व्यक्ति वादी स्वंय होने से वाके ग्राम घरटा पटवार हल्का घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खतौनी संख्या 344 के आराजी संख्या 1337, 1378, 1416, 1489, 1839, 1879, 1882 कुल किता 07 कुल रकबा 08–11 बीघा तथा खतौनी संख्या 239 के आराजी संख्या 1231, 1232, 1333, 1334, 1335, 1336, 1415, 1417, 1486, 1487, 1488, 1804, 1810, 1811, 1812, 1813, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1877, 1878, 1880, 1881, कुल किता 26 कुल रकबा 20–00 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती की जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे। इसके साथ ही वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षी को पांबद किया जाता है । तद्नुसार आशय की अन्तिम डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। अंन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 08.02.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 59/2017 राजस्व वादपत्र

अनवान

1 मूला पिता उंकार बैरवा उम्र–वयस्क निवासी घरटा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

..... वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी.....वकील वादी
पैरोकार सरकार..... .....विपक्षी

दिनांक 08.02.2018

वाद–पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वादी मूला पिता उंकार बैरवा नाम का ग्राम घरटा तहसील बनेडा में एक ही व्यक्ति वादी स्वंय होने से वाके ग्राम घरटा पटवार हल्का घरटा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खतौनी संख्या 344 के आराजी संख्या 1337, 1378, 1416, 1489, 1839, 1879, 1882 कुल किता 07 कुल रकबा 08–11 बीघा तथा खतौनी संख्या 239 के आराजी संख्या 1231, 1232, 1333, 1334, 1335, 1336, 1415, 1417, 1486, 1487, 1488, 1804, 1810, 1811, 1812, 1813, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1877, 1878, 1880, 1881, कुल किता 26 कुल रकबा 20–00 बीघा भूमि को वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती की जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे। इसके साथ ही वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद किया जाता है । मुताबिक निर्णय अंन्तिम डिक्री प्रदत्त की जाती है। तद्नुसार पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को आदेशित किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 08.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)